

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम रायसिंहनगर

अमरजीतसिंह आदि बनाम सन्ता सिंह आदि

किस्म मुकदमा 251-क आरटीएक्ट

नम्बर 13 / 2024

जी.सी.एम.एस. आईडी 2024/129

तारीख हुक्म

3.05.2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए

प्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह जाति बावरी साकिन 6पीटीडी बी वगैरा की ओर से श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता ने प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत धारा 251-क के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। सम्बन्धित तहसीलदार से मौका की रिपोर्ट ली जावे। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.06.2024 को पेश हो।

(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

25/6/24

मौल पञ्जकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 25/6/24 को पेश हो।

अमरजीत सिंह मुकदमा 251/क आरटीएक्ट सुप्रीम कोर्ट

25/6/2024 जजजीत अमरजीत सिंह।

मुख्यकारसिंह व अमरजीत सिंह के द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर पत्रावली पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी ने आप पेशी में जीवित जजजीत के अभाव में आपकी जगह पर आपकी पत्नी के नाम चंपावती ने गारंटी पत्र पेश करवा दिया है। इसलिए जजजीत अपने अधिवक्ता के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करवा दिया है। उपखण्ड अधिकारी को कार्यवाही के लिए पत्रावली दिनांक 25/6/24 को पेश हो।

जजजीत के अधिवक्ता के आधा डू व संलग्न दस्तावेजों के अभाव में उपखण्ड अधिकारी को कार्यवाही के लिए पत्रावली दिनांक 25/6/24 को पेश हो।

ते

ते

दस्ता


गीत

गर



होकर हासिल करवा हो
जिन्हे खुले न्यायालय के सुनाने

जाय



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर